( राजस्थान–सरकार )

## प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रथम अपील संख्या :– 04/2025
पंजीकरण संख्या :– 2025/13

बउनवान

मोईन अख्तर निवासी 785, माचिस फैक्ट्री के पीछे, ददवाड़ा, अर्जुनपुरा जिला कोटा (राज.)
(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
(प्रत्यर्थी)

### प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

### निर्णय दिनांक 21.04.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नानुसार है :–

1. खसरा संख्या 5481/5379 और 5482/5379 के लिए भूमि रिकार्ड और स्वामित्व विवरण की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।
2. स्पष्ट करें कि क्या भूमि अभिलेखों में कोई संशोधन या सुधार किया गया था तथा प्रासंगिक आदेशों यो प्रविष्टियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
3. इन खसरा नंबरों के लिए भूमि आवंटन का काम संभालने वाले अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करें।
4. यदि कोई सुधार किया गया हो तो आवेदनों, अनुमोदनों और राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
5. भूमि अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया और समयसीमा साझा करें।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 20.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 176–177 दिनांक 21.03.2025 से तलब कर प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 176–177 दिनांक 21.03.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:31 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/123–125 दिनांक 21.04.2025 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, मांगरोल से संबंधित है जिसके संबंध में तहसीलदार मांगरोल को उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 01.04.2025 से सूचित कर दिया गया है।

तहसीलदार, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1103–1105 दिनांक 21.04.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई 05 बिंदुओं की सूचना अपीलार्थी को बिंदुवार सूचित करते हुए उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी प्रति इस न्यायालय को भी भिजवाई गई है जो निम्नानुसार है:–

1. खसरा नं. 5481/5379 एवं 5482/5379 की ऑनलाईन जमाबंदी की प्रतियां संलग्न है।
2. उक्त खसरा नं. 5481/5379 एवं 5482/5379 में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
3. उक्त खसरा नं0 वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है तथा तहसील स्तर पर आवंटन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
4. उक्त खसरा नंबरों में वर्तमान में कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया गया है।
5. भूमि अभिलेखों में त्रुटियों में संशोधन आर.टी.एक्ट की धारा 136 एवं भू–अभिलेख नियमावली के नियम 166 के तहत निर्धारित समय सीमा में किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल एवं तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक/न्याय/आरटीआई/2025/123–125 दिनांक 21.04.2025 एवं तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1103–1105 दिनांक 21.04.2025 से सूचना उपलब्ध करवाते हुए बिंदुवार सूचित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिला बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **21.04.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:31 IST
Reason: SelfAttested